पत्र संख्या : 7वि.शा./मु.यां.–02–31/2019–ज.सं.– 171

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, (यांत्रिक) राँची।
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 04/12/19

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची को विभिन्न सिंचाई योजनाओं के यॉंत्रिक कार्यों का पुनर्स्थापन हेतु कुल रू. **150.37** लाख **(एक करोड़ पचास लाख सैतीस हजार मात्र)** रूपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–09/19–20, दि. 01.07.2019, 22/19–20, दि. 05.08.2019, 40/19–20, दि. 19.09.2019, 49/19–20, दि. 23.09.019 एवं 42/19–20, दि. 19.09.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2019–20** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय** के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है।

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू. में)
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग/4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/80–सामान्य	796–जन–जातीय क्षेत्र उपयोजना/46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य, विपत्र कोड–49S470180796460545	**150.37**

आवंटित राशि – ₹ एक करोड़ पचास लाख सैतीस हजार मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष **2019–20** के बजट उपबंध राशि **रू. 700.00 लाख (सात करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक–19.09.16 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप परिशिष्ट–1, पर वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, **Online** उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन **Hard Copy** में **Access No** तथा **Revoke No/Surrender No** (संबंधित **LOC** संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

4.12.19
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 171 रॉंची, दिनांक :– 04/12/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो०– **हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

4.12.19
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 171 रॉंची, दिनांक :-- 04/12/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉंची/अभियंता प्रमुख –**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पॉंच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(सत्येनद्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

4.12.19
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक 171 दिनांक 04/12/19 का अनुलग्नक

परिशिष्ट –1

मॉंग संख्या–49–जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष–4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,
लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्र उपयोजना,
उप शीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49S470180796460545
वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट उपबंध 700.00 लाख (सात करोड़) रूपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		एकरारनामा की राशि	मार्च 2019 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (8+11)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि			पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आबंटन	आवंटित राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, रॉंची (DRNMID001)	यॉंत्रिक	सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, रॉंची के अन्तर्गत कॉंची वीयर योजना के वारण्डा शाखा नहर के विभिन्न विन्दुओं पर H/R एवं C/R गेटों, इम्बेडेड पार्टस, उत्तोलन प्रणाली आदि का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु।	09/19–20 प्र.स्वी., दिनांक–01.07.2019 Onlinhe AA-851/07.07.19	46.130	41.11231	0.000	0.000	41.120	41.120	41.120	75563	
			सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, रॉंची अन्तर्गत लतरातु जलाशय योजना के बाएँ मुख्य नहर के विभिन्न चेनेज पर H/R गेटों एवं अन्य यॉंत्रिक प्रणाली का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु।	22/19–20 प्र.स्वी., दिनांक–05.08.2019 Online AA-1099/06.08.19	44.000	39.21296	0.000	0.000	39.220	39.220	39.220	75565	
			सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, रॉंची अन्तर्गत सोनुआ जलाशय योजना, पुतुंगरा जलाशय योजना, खतवा वीयर योजना एवं फुलझर वीयर योजना के यॉंत्रिक कार्य हेतु।	40/19–20 प्र०स्वी० दिनांक–19.09.2019 Online AA-1482/26.09.19	23.792	20.96165	0.000	0.000	20.960	20.960	20.960	75566	पुतंगरा वीयर योजना के मुख्य शीर्ष पर U/S एवं H/R गेटों का जीर्णोद्धार
					18.938	17.41780	0.000	0.000	17.420	17.420	17.420	75567	खतवा वीयर योजना मुख्य शीर्ष पर U/S, H/R gates का निर्माण कार्य
			सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, रॉंची अंतर्गत कोकरो वीयर योजना के यांत्रिक कार्य हेतु	49/19–20 प्र०स्वी० दिनांक–23.09.2019 Online AA-1497/27.09.19	24.860	23.36243	0.000	0.000	23.370	23.370	23.370	75568	
			सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, रॉंची अंतर्गत सुरंगी जलाशय योजना के गेटों का मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य हेतु	42/19–20 प्र०स्वी० दिनांक–19.09.2019 Online AA-1485/26.09.19	8.360	8.27664	0.000	0.000	8.280	8.280	8.280	75569	
							योग	0.000	150.370	150.370	150.370		

आवंटित राशि – ₹ एक करोड़ पचास लाख सैतीस हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येनद्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 4.12.19
अपर मुख्य सचिव